राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2496/2024 प्रभुदयाल लोछब	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जिला बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कोटा डिवीजन, कोटा। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बूंदी।	05.08.2024	श्री आदित्य शर्मा, अभिभाषक
2.	2497/2024 मुकेश कुमार			
3.	2500/2024 नन्दकिशोर	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर। 2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), भरतपुर डिवीजन, भरतपुर। 3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Bhutoli, तहसील वैर, जिला भरतपुर। 4. जय सिंह हंसावत, वर्तमान में स्थानान्तरणाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगरोली, वैर, जिला भरतपुर।	06.08.2024	श्री मनीष कुमार शर्मा, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 06.08.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2496/2024 प्रभुदयाल लोछब बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Delunda (रिचाना) पंचायत समिति बूंदी, जिला बूंदी में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 12.06.2024 के द्वारा उसे

वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिरपोही, झालावाड आदेश दिनांक 28.07.2024 के द्वारा पदस्थापित किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 28.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान बूंदी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिरपोही, झालावाड पदस्थापित किया गया है। उनका कथन है कि यदि पदस्थापन वरिष्ठता के आधार पर किया गया है तो अपीलार्थी उसी ब्लॉक एवं जिले में पदस्थापित रहने का अधिकारी है। अपीलार्थी का पदस्थापन पदोन्नति उपरांत नियमानुसार सही नहीं किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश क्रमांक 23–24/2024/965 दिनांक 28.07.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Delunda, पंचायत समिति बूंदी, जिला बूंदी में यथावत कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Delunda (रिचाना) पंचायत समिति बूंदी, जिला बूंदी में कार्यरत है। परंतु हम अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक

आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2496/2024 प्रभुदयाल लोछब बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)